मुख्यमंत्री भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार आवास

(नगरीय क्षेत्र) योजना

1. योजना के प्रावधान क्या है :–

I. योजना का नाम मुख्यमंत्री भवन और अन्य संनिर्माण कर्मकार आवास (नगरीय क्षेत्र) योजना 2013 हैं।

II. **सेवा का उद्देश्यः–** पंजीकृत निर्माण श्रमिकों हेतु प्रथम चरण में प्रदेश के 14 नगरीय निकायों– ग्वालियर, सागर, रीवा, सिंगरौली, सतना, कटनी, खण्डवा, बुरहानपुर, देवास और रतलाम भोपाल, इंदौर, जबलपुर एवं उज्जैन के नगरीय क्षेत्रों में निवासरत ऐसे निर्माण श्रमिक इस योजना के पात्र हितग्राही होंगे जो विगत लगातार 6 वर्षो से निरंतर हिताधिकारी परिचय पत्रधारी निर्माण श्रमिक है।

III. **योजना का हितलाभ** :– परियोजना के अंतर्गत चयनित हितग्राही को अधिकतम 7.50 लाख तक की लागत का आवासीय निर्माण किये जाने हेतु कम से कम 50 प्रतिशत बैंक/वित्तीय संस्था से ऋण लेने की स्थिति में रू. 1,00,000 प्रति आवासीय इकाई की राशि अनुदान के रूप में मण्डल द्वारा दी जायेगी।

2. योजना की पात्रता किसे है :–

1. पंजीबद्व निर्माण श्रमिक, जो कि वैध परिचय पत्र धारी है, को योजना का लाभ प्राप्त होगा।

2. **पात्रता की शर्तें एवं संबंधित आवश्यक दस्तावेजः–**

(i)- विगत लगातार 5 वर्षो से निरंतर हिताधिकारी परिचय पत्रधारी निर्माण श्रमिक।

(ii)- जिन्होंने शासन की किसी अनुदान योजना में आवास का लाभ प्राप्त नहीं किया हो।

(iii)– जिनके स्वयं के अथवा परिवार के आश्रित सदस्यों के नाम पर आवास न हो अथवा स्वयं के अथवा परिवार के आश्रित सदस्य के नाम संबंधित नगरीय क्षेत्र में मात्र कच्चा मकान (झोपड़ी) हों।

(vi)- आवासीय इकाई हेतु स्वयं के अंशदान की राशि प्रदान करने व वांछित ऋण लेने हेतु सहमत हो।

3. योजना हेतु आवेदन कैसे एवं कहॉ करें :–

हिताधिकारी की चयन की प्रकिया :– मण्डल के पात्रताधारी पंजीकृत निर्माण श्रमिक आवासीय भवन निर्माण के लिये आवेदन संबंधित जिला श्रम अधिकारी को प्रस्तुत करेंगे।

4. योजना का कियान्वयन व स्वीकृति का अधिकार :–

ऋण प्रकरण बैंक को अग्रेषित करते हुये त्रिपक्षीय अनुबंध करते हुये ऋण वितरण की कार्यवाही संबंधित जिले के सहायक श्रमायुक्त/श्रम पदाधिकारी/सहायक श्रम पदाधिकारी द्वारा की जाएगी।

अनुदान स्वीकृति हेतु जिला स्तरीय श्रम अधिकारी (कार्यालय प्रमुख) अधिकृत होंगे।

5. भुगतान की प्रकिया क्या होगी :–

निर्माण श्रमिक द्वारा अन्य सामान्य आवेदन की भांति निर्धारित प्रपत्र में आवेदन पत्र व दस्तावेज प्रस्तुत किये जायेंगे व इसके अतिरिक्त मण्डल में निरंतर 5 वर्ष से वैध पंजीयन होने बाबद प्रमाण – पत्र भी प्राप्त किया जाना अनिवार्य है।

परियोजना के अंतर्गत मापदण्ड की पूर्ति करने पर पात्र निर्माण श्रमिकों को चयनित किया जावेगा तथा निर्माण कार्य के अंतिम चरण में हिताधिकारी के ऋण खाते में 1 लाख का अनुदान दिया जावेगा।

6. विसंगति का निवारण :–

योजना में उल्लेखित शर्तों/नियमों के अतिरिक्त यदि कोई विसंगति उत्पन्न होती है, उस स्थिति में मध्यप्रदेश शासन, श्रम विभाग का निर्णय अंतिम होगा।